<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99</u> REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032020-218940 CG-DL-E-27032020-218940

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] No. 134] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2020/चैत्र 7, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2020/CHAITRA 7, 1942

पंजाब नैशनल बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2020

एफ. सं. HRDD:POL:OSR(ई).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, पंजाब नैशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात सम्बंधित निजी क्षेत्र की इकाई में नौकरी स्वीकार करना) विनियम, 2000 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है; यथा:

- 1. (1) ये विनियम पंजाब नैशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र की इकाई में नौकरी स्वीकार करना) संशोधन विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
 - (2) ये विनियम अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. पंजाब नैशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र की इकाई में नौकरी स्वीकार करना) विनियम, 2000 के.-
 - (i) विनियम 4 में, उप-विनियम (6) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किये जाएंगे, यथा:-"(6) इन विनियमों के अंतर्गत बैंक द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विषय में संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा"।

1619 GI/2020 (1)

(ii) विनियम 4 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, जोिक:

"5. सक्षम प्राधिकारी- विनियमन 4 के तहत निम्नलिखित तालिका के अनुसार सक्षम प्राधिकारी, सेवानिवृत्ति के पश्चात अधिकारी कर्मचारी द्वारा किसी भी निजी संस्थान में रोजगार को स्वीकार या रोजगार करने के लिए, स्वीकृति या अस्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत होंगे":-

तालिका

स्तर	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)
कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान- I मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान- II एवं III	महाप्रबंधक अथवा मुख्य महाप्रबंधक-मानव संसाधन
वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड वेतनमान-IV	
वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड वेतनमान-V	कार्यपालक निदेशक – मानव संसाधन
शीर्ष कार्यपालक ग्रेड वेतनमान-VI	
शीर्ष कार्यपालक ग्रेड वेतनमान-VII	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
शीर्ष कार्यपालक ग्रेड वेतनमान-VIII	

राजेश वर्मा, महाप्रबंधक-एचआरडीडी [विज्ञापन–III/4/असा./519/19]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 की अधिसूचना संख्या पीएनबी/डीएसी/पी-7/2000 दिनांक 21 अगस्त 2000 के माध्यम से प्रकाशित हुई और अधिसूचना संख्या पीएनबी/डीएसी/पी-7/2015, दिनांक 14 मार्च, 2015 के माध्यम से अंतिम बार संशोधित की गई।

PUNJAB NATIONAL BANK NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2020

- **F. No. HRDD:POL:OSR(E).**—In exercise of the powers conferred by section 19, read with subsection (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Punjab National Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns After Retirement) Regulations 2000, namely:—
- 1. (1) These regulations may be called the Punjab National Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns After Retirement) Amendment Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Punjab National Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns After Retirement) Regulations, 2000,-
 - (i) in regulation 4, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

- "(6). Every order passed by the Bank under these regulations shall be communicated to the person concerned.";
- (ii) after regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely:
- "5. Competent Authority.- The Competent Authority for granting or refusing permission for acceptance or taking up any employment in private concern after retirement, by an officer employee under regulation 4, shall be as given in the table below:-

TABLE

LEVEL	COMPETENT AUTHORITY
(1)	(2)
Junior Management Grade Scale-I	General Manager or Chief General Manager-
Middle Management Grade Scale-II and III	HR
Senior Management Grade Scale-IV	

Senior Management Grade Scale-V	Executive Director heading HR
Top Executive Grade Scale-VI	
Top Executive Grade Scale-VII	Managing Director and Chief Executive
Top Executive Grade Scale-VIII	Officer".

RAJESH VERMA, General Manager-HRDD

[ADVT.-III/4/Exty./519/19]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* notification number PNB/DAC/P-7/2000 dated the 21st August 2000 and last amended *vide* notification number PNB/DAC/P-7/2015, dated the 14th March, 2015.